विषय सूची

क.सं.	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	प्रतिवेदन	1
2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	2-6
3	भारत सरकार के प्रपत्र	7-12
4	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट / वनधिकार अधिनियम 2006 समबन्धी प्रमाण पत्र।	13-14
5	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	15-16
6	प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	17-18
7	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र	19
8	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र	20
9	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र एवं जी.पी.एस. रीडिंग के साथ डिजिटल मैप।	21-24
10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना	25-26
11	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र	27
12	परियोजना का बार चार्ट	28
13	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र / आंगणन	29-30
14	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र	लागू नहीं।
15	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	लागू नहीं।
16	आम सभा का प्रमाण पत्र	31
17	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण पत्र	32
18	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	33
19	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र	34
20	भू–वैज्ञानिक की आख्या	35-39
21	भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	40
22	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण पत्र	41-42
23	वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र	43
24	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	44
25	धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र	45
26	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	46
27	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र	47
28	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं विस्फोटक के प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र	48
29	वन भूमि के लिए एन0पी0वी0 का निर्धारण प्रमाण पत्र	49
30	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र	50
31	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
32	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र	51
33	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की अभियांत्रिकी कार्य योजना एवं धनराशि भुगतान करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	52-55
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र	56-57
35	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
36	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
37	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	लागू नहीं।
38	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण	लागू नहीं।
39	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र	58-59
40	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	लागू नहीं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

41	फैक्ट शीट	60-61
42	उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलनिरीक्षण आख्या	62

प्रपत्र सं.-1

(1)

परियोजना का नामः—राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमड़थल किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 3138/ 111–2/ 06–61 (प्रा0आ0.)/ 2006 दिनांक 22.11.2006 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कारगिल शहीद स्व0 रमेश सिंह नगरकोटी की स्मृति में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 कि.मी. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 142.00 लाख के लिए प्रदान की गयी है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है।)

सातचौरा–जल्थाकोट मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. पर भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/ 09 /1775/ 98/ एफ.सी./ 594 दिनांक 28.09.1999 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी0आई0– 852/ 14–2–1999–600 (12)/ 98 दिनांक 18.11.1999 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश पारित करने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग का विस्तार उक्त मार्ग के जल्थाकोट नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं किमोली तक मार्ग की लम्बाई 8 कि.मी. आती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम किमोली की आवादी 299 है तथा यह ग्राम अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। भारत सरकार द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए बीरों के सम्मान में उनके पैत्रिक गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने की योजना लागू की गयी है। स्व0 मोहन सिंह नगरकोटी इसी किमोली ग्राम के निवासी थे। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम किमोली के अतिरिक्त ग्राम जल्थाकोट (241) खोलाखेत (121) बैसाई (101), सिमतोली (300) आदि की कुल 1062 जनता प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। इस क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। साथ ही रोजगार की तलाश में युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है जिसे रोकने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है। मोटर मार्ग का निर्माण **Vertical cutting** कर किया जाना है अतः **Horizontal width** 7 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार ही की गयी है। भविष्य में इस परियोजना हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

विस्तृत सर्वेक्षण के समय इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। स्वीकृत संरेखण को दर्शाते हुए Geo- referenced boundary and degital map with GPS readings in shap file में सीडी सहित् प्रस्ताव में संलग्न है।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण सातचौरा–जल्थाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 5 से प्रस्तावित किया गया है। इस संरेखण में नाप भूमि के अतिरिक्त सिविल सोयम, वन पंचायत एवं अपरिहार्य स्थिति मे लगभग 550 मीटर आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। विभिन्न प्रजाति के वृक्ष एवं बांज वृक्ष कम प्रभावित होते है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासियों को भी कोई आपत्ति नहीं है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण भी उक्त संरेखण के अनुसार ही रखा गया है परन्तु इसमें संरेखण का कुछ भाग कच्चे भाग से जायेगा एवं बांज वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है। इस संरेखण में हेयरपिन बैन्ड अधिक आने, लैन्डस्लाईड जोन में स्थित होने एवं मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिलने तथा भूगर्भीय कारणों से इसे निरस्त किया गया हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं. 1** को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 8.00 कि.मी. लम्बाई में स्वीकृत संरेखण में न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली 3.115 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं 220 वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 3

(2)

संख्या--3138/ III-2/06-61(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,

टी० के० ...
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 59(उनसठ) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये कराये गये 59 कार्यो के रूपये 7602.70 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 7219.88 लाख (रूपये बहत्तर करोड उन्नीस लाख अठासी हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 मे अंकित विवरणानुसार कुल रू0 59.00 लाख (रू0 उनसठ लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओ का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा0सं0-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(3)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2007 तक या उससे पहले उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने से कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के–आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–1828/XXVII(2)/2006 दिनांक 20.नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 59 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–3138(1)/III–2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढवाल /कुमांऊ मण्डल पौड़ी /नैनीताल ।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड बुक।

कोटेशन शाखा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
(बागेश्वर)

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

No 4061 / III / ... 22-11-06

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता - चतुर्थ / तृतीय / पंचम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि संडीपत्रलेखाकार/लेखा लिपिक (प्र०)/ बजट सहायक/ कार्यालय को।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

(1)

शासनादेश संख्या–3138/ III(2)/06– 61(प्रा.आ.)/06 दिनांक 22,नवम्बर,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1	उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में नाटू से कैवलगांव–म...ड़ी होते हुये जांदणू तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित।	12.00	380.82	378.00	1.00
2.	मैन रोड ठाकुरपुर से शहीद पारस प्रधान के घर से होते हुए दुर्गा मन्दिर तक सड़क का निर्माण।	2.00	52.88	47.00	1.00
3.	श्यामपुर से चाय बाग होते हुए लक्ष्मीपुर में दिनेश की दुकान तक सड़क का निर्माण।	1600 (मीटर)	34.30	33.60	1.00
4.	लक्ष्मीपुर में अरोड़ा जनरल स्टोर से लक्ष्मीपुर बाजार तक सड़क का निर्माण।	700 (मीटर)	7.26	7.10	1.00
5.	देहरादून में आरकेडिया ग्रान्ट के अन्तर्गत ग्राम गोरखपुर में कब्रिस्तान के निकट सम्पर्क मार्ग को पक्का करना।	0.30	9.89	9.70	1.00
6.	देहरादून में हरभजन ग्राम सम्पर्क मार्ग सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग का निर्माण करना।	1.50	37.09	36.35	1.00
7.	देहरादून में आरकेडिया ग्रान्ट के अन्तर्गत केदारीनाथ? गहिमा इन्कलेव में सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग का निर्माण।	0.50	10.02	9.80	1.00
8.	देहरादून में आरकेडिया ग्रान्ट के अन्तर्गत ग्राम पाटियोवाला में तुन्तोवाला पुल के समीप तथा मुख्य मार्ग से ट्यूबैल तक सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग का निर्माण।	1.20	30.18	29.60	1.00
9.	देहरादून में मोहनपुर नहर मार्ग को पक्का करना।	1.00	19.90	19.50	1.00
10.	देहरादून में स्मिथनगर–अम्बीवाला के ठिकाई से विन्स पाइनर स्कूल ग्राम पीताम्बरपुर आरकेडिया ग्रान्ट देहरादून तक सड़क का निर्माण।	0.40	14.41	13.00	1.00
11.	देहरादून में आरकेडिया ग्रान्ट के अन्तर्गत धारावाली –गीता एन्कलेव की आन्तरिक मार्गों को पक्का करना।	0.30	8.65	8.50	1.00
12.	देहरादून में आरकेडिया ग्रान्ट के अन्तर्गत धारावाली में मुख्य मार्ग से आतंरिक मार्गो का सी.सी.निर्माण कार्य नाली सहित।	100 मी0	3.00	2.50	1.00
13.	पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक द्वारीखाल में सतपुली मल्ली से ढौडर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	3.00	51.75	51.75	1.00
14.	पौड़ी गढ़वाल में डांग –धोबीघाट मार्ग का सीमेन्ट कंक्रीट टाइल से निर्माण।		48.00	46.30	1.00

15	कोलाखाल जैकोट मोटर मार्ग पर 42.00 मी0 गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	42.00 मी0	58.34	58.00	1.00
16.	बागेश्वर में बैजनाथ में बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग मोटर मार्ग के सुधार कार्य का प्रारम्भिक आगणन।	23.70	494.60	486.00	1.00
17.	बागेश्वर मे बैजनाथ–ग्वालदम मोटर मार्ग के सुधार कार्य का प्रारम्भिक आगणन।	18.600	495.00	488.00	1.00
18.	बागेश्वर मे ग्राम के अन्खेत के पास भद्रवती नदी पर 70.00 मी0 विस्तार के झूलापुल का निर्माण।	70 मी0	123.70	116.00	1.00
19.	बागेश्वर मे जखाकोट–चनड्थल– किमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	208.92	142.00	1.00
20.	बागेश्वर में खातीगांव–नरगोली– चन्तोला मोटर मार्ग निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन (पुल सहित)।	7.00	302.20	236.30	1.00
21.	मुखानी चौराहे से दयाल कालोनी होते हुए जजफार्म हेतु गूल के किनारे मार्ग एवं दयाल कालोनी के आंतरिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।		31.70	30.70	1.00
22.	उत्तरकाशी मे वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत [illegible]–[illegible]–गोडर मोटर मार्ग का नव निर्माण	9.00	181.45	130.10	1.00
23.	जे0के0पुरम से [illegible] माता मंदिर होते हुए जज फार्म तक मार्ग का निर्माण।	0.5	12.00	11.90	1.00
24.	टैगोर विला का पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण।		27.50	24.55	1.00
25.	देहरादून में कृष्णा पैलेस के पीछे कुमार चौक तक मार्ग का सुधार कार्य ।	–	8.90	8.56	1.00
26.	बागेश्वर में जिला अस्पताल के पास सरयू नदी पर 80 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण।	80 मीटर	260.00	240.00	1.00
27.	पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल में माण्डलू– ग्वील मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 8.00 कि0मी0+15 मी0 स्पान सेतु)		138.40	136.15	1.00
28.	खटीमा के अन्तर्गत ग्राम राड़ा–सड़िया से प्रतापपुर न0 4 तक मार्ग निर्माण	4.00	121.03	119.00	1.00
29.	ग्राम कंचनपुरी से पचपेड़ा तक मार्ग निर्माण।	1.50	36.38	35.70	1.00
30.	लोहिया हैड रोड से कालापुल तक मार्ग निर्माण।	2.00	48.50	47.00	1.00
31.	जौनपुर मे साटागाड़ बैन्ड से घेराचक– डांगसारी–घुतू मोटर मार्ग का निर्माण (सेतु सहित)	8.00 + 84 मी0	278.75	278.75	1.00
32.	पुरोला के अन्तर्गत मोल्डा मोटन मार्ग का निर्माण।	2.00	44.00	44.00	1.00
33.	कौलाखाल–जयकोट–वरतांग पंणिया मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	69.00	69.00	1.00
34.	कुन्जखाल–कौलाखाल हल्का मोटर मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन।	6.50	131.62	131.62	1.00
35.	कालिका –बजानी– खूमती– कनार मोटर मार्ग का नव निर्माण(कि0मी0 5.50 से 8.00 तक)	2.50	66.00	65.00	1.00
36.	रामपुर के समीप खत्री गाँव में खचार नदी में 45 मी0 स्पान का पुल निर्माण ।		70.75	62.60	1.00
37.	चौखुटिया –रमनागांव–ताजपुर– सुनगढ़ी मोटर मार्ग का निर्माण।	11.00	223.52	195.80	1.00

प्रपत्र · 2

(7)

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 कि0मी0
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 142.00 लाख। (शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है)
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने के कारण मार्ग को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन में दिया गया है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव 5 है0 से कम का है अतः लागू नहीं हैं
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 160 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मार्ग निर्माण उपरान्त यातायात सुविधा होने से नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का पलायन रूकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	सिविल सोयम भूमि– 1.855 है0 वन पंचायत भूमि – 0.875 है0 आरक्षित भूमि – 0.385 है0 **कुल वन भूमि – 3.115 है0** नाप भूमि – 2.485 है0 **कुल भूमि :– – 5.600 हैक्टेयर** (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	नवीनतम निर्देशों के अनुसार दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण के लिए 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान रखते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन/मानचित्र एवं प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु आंगणन वन विभाग से तैयार करा कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं। क्षतिपूरक वनीकरण, एन.पी.वी. एवं मलवा निस्तारण आदि का व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	अनुकमणिका सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक 26/01/13
स्थान– बागेश्वर

सहायक अभियता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 2.1

प्रस्ताव की कम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोड्ल अधिकारी द्वारा भरा जाऐगा

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

क.सं.	विवरण	
7	परियोजना / स्कीम का स्थान	राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 कि.मी.
i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखंड
ii)	जिला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	**3.115 हैक्टेयर**
v)	वन की कानूनी स्थिति	सिविल सोयम / वन पंचायत / आरक्षित
vi)	हरियाली का घनत्व	**0.3** / Eco class V
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।	सूची पृ0सं0 17 पर संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की सम्भावना नही है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 550 मीटर भाग आरक्षित वन भूमि से हो कर जाता है।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	संलग्न है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	—"—
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	—"—
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	—"—
9	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	—"—

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	पृष्ठ सं० 28 में अंकित है।
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	बांज, फल्यांट, उतीस, शिशम आदि
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	821900.00 रु० मात्र
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	—"—
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	2310 वर्ग कि० मी०
ii)	जिला का वन क्षेत्र।	1074 —"—
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	355 मामले 1453.2083 है०
iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1315.278 है०
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
ख)	वनेत्तर भूमि पर .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	-
क)	वन भूमि पर	1081.006 है०
ख)	वनेत्तर भूमि पर	234.272 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 24-11-2013
स्थान बागेश्वर

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं॰ 2.2

भाग– III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14–	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	दिनांक 03.03.2014
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत।
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 10–20 सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

तिथि – 29/3/2014
स्थान – अल्मोड़ा

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रपत्र सं० 4

(13)

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.09.2009 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद...वन क्षेत्र अधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री.....[illegible].....पटवारी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री के.के.पांडे, सहायक अभियंता एवं श्री संजयसिंह नयाल कनिष्ट अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.385 है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.855 है0, वन पंचायत भूमि 0.875 है0 कुल 3.115 है0 वन भूमि एवं 2.485 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

(संजयसिंह नयाल)
कनिष्ट अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

पटवारी,
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

(गोविन्द प्रसाद)
वनक्षेत्र अधिकारी
वन विभाग प्रतिनिधि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(के.के.पांडे)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर जि०

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रपत्र - II

(15)

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शैड्यूल

आरक्षित वन भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (वन विभाग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लौक / कम्पार्टमैंट नं0	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (है0)
बागेश्वर	बागेश्वर	गुरना कम्पा. नं. 3	550 मीटर	07 मीटर	0.385
	आरक्षित वन भूमि का कुल योग				**0.385**

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र · II.1, II.2

लैन्ड शैड्यूल

सिविल एवं सोयम / वन पंचायत भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग) / जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक / गांव	खसरा संख्या	कुल रकवा		याचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
				नाली	मुट्ठी	
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2370	01	02	0.023
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2940	01	05	0.026
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2366	01	09	0.031
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2368	00	10	0.011
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2369	00	13	0.016
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2963	02	10	0.053
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2977	01	14	0.038
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2979	07	14	0.158
बागेश्वर	बगेश्वर	जल्थाकोट	2978	06	10	0.133
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	189	00	11	0.014
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	149	01	14	0.038
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	190	06	06	0.128
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	1087	00	07	0.008
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	1091	02	02	0.043
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	1306	07	13	0.156
बागेश्वर	बगेश्वर	बिनतोली	1309	03	14	0.076

बागेश्वर	बगेश्वर	खोलाखेत	1236	04	11	0.094
बागेश्वर	बगेश्वर	खोलाखेत	1239	05	06	0.108
बागेश्वर	बगेश्वर	खोलाखेत	2457	06	14	0.137
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	607	01	01	0.021
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	611	03	10	0.073
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	615	03	02	0.063
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	617	01	05	0.026
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	605	05	14	0.118
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	859	07	05	0.146
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	864	02	10	0.053
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	866	02	14	0.058
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	868	04	06	0.088
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	862	03	05	0.066
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	870	03	14	0.078
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	886	06	12	0.133
बागेश्वर	बगेश्वर	किमोली	890	02	09	0.051
सिविल सोयम भूमि का योग			**32 नं0**	**113**	**03**	**1.855**
बागेश्वर	बगेश्वर	वन पंचायत खोलाखेत	1235	07	10	0.153
बागेश्वर	बगेश्वर	वन पंचायत खोलाखेत	1374	06	10	0.133
बागेश्वर	बगेश्वर	वन पंचायत खोलाखेत	2454	07	11	0.154
बागेश्वर	बगेश्वर	वन पंचायत खोलाखेत	2455	13	08	0.270
बागेश्वर	बगेश्वर	वन पंचायत खोलाखेत	2456	10	07	0.207
बागेश्वर	बगेश्वर	वन पंचायत खोलाखेत	2460	12	11	0.254
	वन पंचायत भूमि का योग		**6 नं0**	**58**	**09**	**0.875**
सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि का कुल योग			**38 नं0**	**171**	**12**	**2.730**

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय उप वन संरक्षक, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

संख्या– / दिनांकः , 2013

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग लम्बाई 8 कि.मी. के निर्माण हेतु 3.115 है0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

कसं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	जल्थाकोट नाप	अखरोट	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2	जल्थाकोट नाप	चीड़	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	6
3	जल्थाकोट नाप	बांज	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
4	जल्थाकोट सिविल	चीड़	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
		बांज	—	8	6	1	1	—	—	—	—	—	16
5	जल्थाकोट वनपंचायत	बांज	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	9
		चीड़	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4
6	गुरना आर0 क0 3	चीड़	—	3	8	4	1	3	1	—	—	—	20
7	गडेलखेत वनपंचायत (सिविल)	चीड़	—	10	10	10	5	—	—	—	—	—	35
8	चमड़थल (बिन्तोली) वनपंचायत (सिविल)	बांज	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
9	बैसाली नाप	भीमल	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		तीमल	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
10	खोलाखेत वनपंचायत	बंज	—	4	10	7	2	2	—	—	—	—	25
		चीड़	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	5
11	[illegible]समतोली (सिविल?) वनपंचायत (सिविल)	बांज	—	10	4	3	1	—	—	—	—	—	18
		चीड़	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
12	किमोली वनपंचायत (सिविल)	चीड़	—	15	14	10	3	2	—	—	'	'	44
13	किमोली नाप	बांज	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	–ऐ–	दाड़िम	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	–ऐ–	भीमल	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4
	–ऐ–	तीमल	—	7	—	—	1	—	—	—	—	—	8
	–ऐ–	क्वैराल	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	कुल योग		—	85	71	39	16	8	1	—	—	—	220

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची संलग्न है।

वनक्षेत्र अधिकारी
धरमघर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र - 15

राज्य योजनान्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 किमी0 के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची / आउटटर्न। (18)

क्रम सं0	वन क्षेत्र का नाम	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष गोलाई व्यास सेमी0 में	गुण श्रेणी	वृक्ष सं0	निर्धारित आयतन	कुल आयतन	दर / वृक्ष	धनराशि
1	जल्थाकोट नाप	अखरोट	30-40	III	1	0.227	0.227	1492.00	1492.00
		चीड़	10--20	III	2	0.000	0.000	231.00	462.00
			20-30	III	2	0.184	0.368	471.00	942.00
			30-40	III	1	0.694	0.694	1873.00	1873.00
			40-50	III		1.502	0.000	4325.00	0.00
			50-60	III	1	2.663	2.663	7573.00	7573.00
		बांज	10--20	III	2	0.000	0.000	154.00	308.00
			20-30	III	1	0.320	0.320	747.00	747.00
2	जल्थाकोट सिविल	बांज	10--20	III	8	0.000	0.000	154.00	1232.00
			20-30	III	6	0.320	1.920	747.00	4482.00
			30-40	III	1	0.809	0.809	1492.00	1492.00
			40-50	III	1	1.519	1.519	1492.00	1492.00
		चीड़	10--20	III		0.000	0.000	231.00	0.00
			20-30	III		0.184	0.000	471.00	0.00
			30-40	III	1	0.694	0.694	1873.00	1873.00
			40-50	III	1	1.502	1.502	4325.00	4325.00
			50-60	III		2.663	0.000	7573.00	0.00
3	जल्थाकोट वन पंचायत	चीड़	10--20	III	2	0.000	0.000	231.00	462.00
			20-30	III	2	0.184	0.368	471.00	942.00
			30-40	III		0.694	0.000	1873.00	0.00
			40-50	III		1.502	0.000	4325.00	0.00
		बांज	10--20	III	4	0.000	0.000	154.00	616.00
			20-30	III	5	0.184	0.920	471.00	2355.00
4	गुरना आरक्षित वन	चीड़	10--20	III	3	0.000	0.000	231.00	693.00
			20-30	III	8	0.184	1.472	471.00	3768.00
			30-40	III	4	0.694	2.776	1873.00	7492.00
			40-50	III	1	1.502	1.502	4325.00	4325.00
			50-60	III	3	2.663	7.989	7573.00	22719.00
			60-70	III	1	4.080	4.080	12328.00	12328.00
5	गडेलखेत वन पंचायत (सिविल)	चीड़	10--20	III	10	0.000	0.000	231.00	2310.00
			20-30	III	10	0.184	1.840	471.00	4710.00
			30-40	III	10	0.694	6.940	1873.00	18730.00
			40-50	III	5	1.502	7.510	4325.00	21625.00
			50-60	III		2.663	0.000	7573.00	0.00
			60-70	III		4.080	0.000	12328.00	0.00
6	चमड़थल (बिन्तोली) वन पंचायत (सिविल)	बांज	20-30	III	1	0.320	0.320	747.00	747.00
			30-40	III	1	0.809	0.809	1492.00	1492.00
7	बैसाली नाप	भीमल	20-30	III	1	0.113	0.113	747.00	747.00
		तिमल	20-30	III	1	0.113	0.113	747.00	747.00

8	खोलाखेत वन पंचायत	बांज	10--20	III	4	0.000	0.000	154.00	616.00
			20-30	III	10	0.320	3.200	747.00	7470.00
			30-40	III	7	0.809	5.663	1492.00	10444.00
			40-50	III	2	1.519	3.038	2105.00	4210.00
			50-60	III	2	2.453	4.906	3484.00	6968.00
		चीड़	10--20	III	2	0.000	0.000	231.00	462.00
			20-30	III	2	0.184	0.368	471.00	942.00
			30-40	III		0.694	0.000	1873.00	0.00
			40-50	III	1	1.502	1.502	4325.00	4325.00
9	सिमतोली वन पंचायत	बांज	10--20	III	10	0.000	0.000	154.00	1540.00
			20-30	III	4	0.320	1.280	747.00	2988.00
			30-40	III	3	0.809	2.427	1492.00	4476.00
			40-50	III	1	1.519	1.519	2105.00	2105.00
		चीड़	10--20	III	2	0.000	0.000	231.00	462.00
			20-30	III	1	0.184	0.184	471.00	471.00
10	किमोली वन पंचायत	चीड़	10--20	III	15	0.000	0.000	231.00	3465.00
			20-30	III	14	0.184	2.576	471.00	6594.00
			30-40	III	10	0.694	6.940	1873.00	18730.00
			40-50	III	3	1.502	4.506	4325.00	12975.00
			50-60	III	2	2.663	5.326	7573.00	15146.00
11	किमोली नाप	बांज	10--20	III	1	0.000	0.000	154.00	154.00
			20-30	III	1	0.320	0.320	747.00	747.00
		दाड़िम	10--20	III	1	0.000	0.000	154.00	154.00
		भीमल	10--20	III	2	0.000	0.000	154.00	308.00
			20-30	III	2	0.113	0.226	747.00	1494.00
		तिमल	10--20	III	7	0.000	0.000	154.00	1078.00
			40-50	III	1	0.368	0.368	2105.00	2105.00
		क्वैराल	10--20	III	10	0.000	0.000	154.00	1540.00
	योग –				220				247070.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

18 B

प्रपत्र–15.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

कसं	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वनभूमि		3	8	4	1	3	1	—	—	—	20
2	सिविल सोयम भूमि		51	43	26	11	2	—	—	—	—	133
3	वन पंचायत भूमि		6	12	7	3	2	—	—	—	—	30
	योग		60	63	37	15	7	1	—	—	—	183
4	नाप भूमि		25	8	2	1	1	—	—	—	—	37
	कुल वृक्षों का योग		85	71	39	16	8	1	—	—	—	220

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

नोट– उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रपत्र सं. 16

(19)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट— चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग लम्बाई 8 कि0मी0 के निर्माण हेतु 3.115 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 03/3/2014 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में पातन होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

कसं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से अधिक	
1	जल्थाकोट नाप	बांज	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
2	जल्थाकोट सिविल	बांज	—	8	6	1	1	—	—	—	—	16
3	जल्थाकोट वनपंचायत	बांज	—	4	5	—	—	—	—	—	—	9
4	बिन्तोली वनपंचायत (16/6/5)	बांज	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
5	खोलाखेत वनपंचायत	बांज	—	4	10	7	2	2	—	—	—	25
6	सिमतोली वनपंचायत (16/6/5)	बांज	—	10	4	3	1	—	—	—	—	18
7	किमोली नाप	बांज	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	कुल योग			29	28	12	4	2	—	—	—	75

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमायूँ वृत,
अल्मोड़ा

(वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा)

वनक्षेत्राधिकारी
प्रबन्धन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर)

प्रपत्र सं. 18 एवं प्रपत्र सं. 19

(20)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट— चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग लम्बाई 8 कि.मी. के निर्माण के लिए हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य अथवा हाथी कोरिडोर का हिस्सा नही है। प्रस्तावित संरेखण से वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी लगभग 83 कि0मी0 है।

वन क्षेत्र अधिकारी धरमघर	उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र सं॰ 35

(25)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

धरमघर वन क्षेत्र, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

परियोजना का नाम – जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली तक मोंटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि 3.115 ×2 = 6.230 या 6.25 है0

वृक्षारोपण स्थल का नाम ....ग्राम ....ओगरी किमोली.......... क्षेत्रफल – 6.230 है0 या 6.25 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या – 12500

रोपित किये जाने वाली जातियां – बांज, फल्यांट , उतीस , घिंघारू आदि।

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	6.25 है0	66.00	412.50
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	6.25 है0	394.00	2462.50
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग) प्र0 है0 84 घमी0 औसत (116. .45×1)	1165 रमी0 / 524.25 घमी0	226.00	118480.50
4	मृदा एवं जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण (3×7.00×1)	2 सं0	2500.00	5000.00
5	गड्ढा खुदान (0.30×0.30×0.45)	12500 ग0	5.63	70375.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	6.25 है0	337.20	2107.50
7	पौंधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	12500 पौ0	4.05	50625.00
	योग – प्रथम चरण			**249463.00**

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	12500 ग0	0.72	9000.00
2	पौंधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	12500 पौ0	4.90	61250.00
3	पौंध ढुलान कार्य दूरी 25 किमी0 वाहन से व 3 किमी0 सिरबोझ से	12500 पौ0	4.17	5212.50
4	पौंधरोपण व थावलाबन्दी	12500 पौ0	1.31	16375.00
5	निराई – गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	12500 पौ0	0.96	12000.00
6	खाद व दवा पर व्यय	12500 पौ0	15.70 per % plant	2000.00
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह 6.25 है0 रोपण क्षेत्र में	8 माह	4440.00 per month	35520.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास – फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	6.25 है0	175.00	1093.75
	8.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना ।	6.25 है0	125.00	781.25
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा की उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों का प्रोत्साहन देना।	1. प्रशिक्षण 2. प्रोत्साहन	315.00 175.00	315.00 175.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड , पौध ढुलान हेतु टोकरी ,सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट कय वर्ष मं दो –तीन बार फोटोग्राफी फीत्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार – प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य ।	6.25 है0	L.S	2500.00
	योग – द्वितीय चरण			146222.0
	कुल योग – प्रथम एवं द्वितीय चरण			395685.50

25

अग्रिम 8 वर्षो में रोपण क्षेत्र में अनुरक्षण कार्य

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष से दशम् वर्ष तक रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12×8 = 96 माह	96 माह	4440.00	426240.00
	योग –			426240.00
	कुलयोग–प्रथम व द्वितीय चरणों का योग व अग्रिम 8 वर्षो में रोपण क्षेत्र में किये जाने वाले अनुरक्षण कार्य			821925.50 Or 821900.00

जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण कार्यो हेतु धनराशि का प्राविधान

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 13

भूमि का बार-चार्ट

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग का निर्माण प्र०खण्ड 8 कि०मी०

पैमाना 1 से० मी० = 500 मीटर

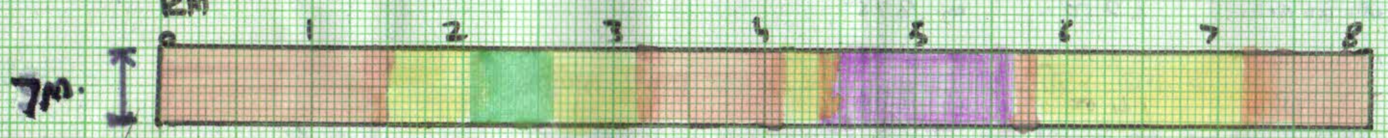

संकेत

भूमि	माप	क्षेत्रफल
नाप भूमि	3550M×7M	= 2.485 है०
सिविल सोयम भूमि	2650M×7M	= 1.855 है०
वन पंचायत भूमि	1250M×7M	= 0.875 है०
आरक्षित वन भूमि	550M×7M	= 0.385 है०
योग		3.115 है०

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

जिला अधिकारी
बागेश्वर

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

तहसीलदार
बागेश्वर जि० बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीयखण्ड, लो० नि० विभाग
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
(बागेश्वर)

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(ह० प्र० ज०)

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

पत्र सं. 38

(30)

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का आंगणन

क.सं	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	दर (लाख में)	प्रति	ईकाई	कुल लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**पथ वृक्षारोपण** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक ख—3080 / 20—2 (ब.सं.स.) दिनांक 02.06.2007 द्वारा प्रति कि.मी. 100 पौध रोपण के मानक के अनुसार।	8.00	~~1.00~~ 2.00	प्रति	कि.मी.	~~8.00~~ 16.00

वनक्षेत्राधिकारी
धरमघर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

सज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट— चमड़थल —किमोली मोटर मार्ग लम्बाई 8 कि.मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में ग्राम सभा की आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं उक्त भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

स्थानः— किमोली

दिनांकः:— 30-9-2009

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत नायल
वि0ख0 बागेश्वर (बागेश्वर)

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत मुसरोली
वि0 ख0 बागेश्वर (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत किमोली
वि० ख० बागेश्वर (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

31

प्रपत्र–12

परियोजना का नामः– राज्य योजना में जनपद बागेष्वर में जल्थाकोट–चमड़थल किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई– चौड़ाई का विवरण।

क0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल है0 में।
1	आरक्षित वन भूमि	550	07	0.385
2	सिविल सोयम भूमि	2650	07	1.855
3	वन पंचायत भूमि	1250	07	0.875
	वन भूमि का योग	**4450**	**07**	**3.115**
4	नाप भूमि	3550	07	2.485
	कुल योग	**8000**	**07**	**5.600**

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र-सं० 8

(33)

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु ....2.....(दो)...........समरेखणों पर विचार किया गया।

समरेखण संख्या— **2** में अधिक वन भूमि आने, अधिक वृक्षों एवं वनस्पति की सम्भावित क्षति एवं संरेखण लैन्डस्लाईड जोन में होने तथा अधिक बैन्ड आने के कारण निरस्त किया गया।

समरेखण संख्या 1 को तकनिकी रूप से सही ग्रेड मिलने, कम वन भूमि व वृक्ष प्रभावित होने, संरेखण पक्के भाग में होने एवं इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामवासियों की सहमति के कारण उचित पाया गया है और भूवैज्ञानिक की संस्तुति के आधार पर अनुमोदित किया गया हैं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

ALIGNMENT REPORT OF JALTHAKOT-CHAMRTHAL-KIMOLI MOTOR ROAD

SL No.	Description of items	Alignment No.1 marked in Red color	Alignment No.2 marked in green color	Remarks
1	2	3	4	5
1	Main features of Alignments	Start from Km 6.00 of Satchora-Jaltakot Motor road	Start from Km 6.00 of Satchora-Jaltakot Motor road	
2	Length of road from starting to terminal point.	8.00 Km	8.00 Km	
3	Geometric (a) Gradient in different stretches of the alignment. (b) Curves (c) Hair pin bend numbers	1:24R, & level as per IRC	1:20 R, & level as per IRC	
4	Terrain & Soil conditions (a) Geology of the area (b) Road length passing through- (i) Mountainous terrain (Cross slop 25% to 60%) (ii) Steep terrain (cross slope more than 60%) (iii) Stretches with indications of loose rock conditions. (iv) Areas subjected to avalanches or snowdrifts.	Hill area (E&B,HS,VHS) 8.00 Km Nil Nil Nil	Hill area (E&B,HS,VHS) 8.00 Km Nil Nil Nil	
5	Nature of soil (a) Length of reaches with Earth & Boulders. (b) Length of reaches with hard rock/ hard shale. (c) Length of reaches with Medium rock/ Med. shale. (d) Homogeneous rocks.	70 % 30 % Nil Nil	60 % 40 % Nil Nil	
6	Requirements of Bridges/ Culverts/ Scuppers:- (a) Major bridges. (b) Minor bridges. (i) Total numbers. (ii) Total waterway. (c) Scuppers (R.C.C. slab type) (i) Total numbers. (ii) Range of span. (iii) Total waterway.	45 1 m Span 6.00 m	45 1 m Span 6.00 m	
7	General elevation of road including maximum & minimum heights by mean ascents & descents. (a) Total numbers of ascents & descents. (b) Length of cliffs & gorges.	Max height 50 M Level	Max height 50 M Levl	

JE AE

8	Land available (a) Right of way bringing out constraints on account of built up area, monuments & other structures. (b) Approximate area & value. (i) Cultivated. (ii) Irrigated. (iii) Un- Irrigated.	 3.00 Km Nil 5.00 Km	 3.00 Km Nil 5.00 Km	
9	Existing means of intercommunication mule path, jeep, truck etc.	Mule Path	Mule Path,	
10	Availability of road construction materials. (a) Location of quarry. (i) Sand. (ii) Stone. (b) Lead. (i) Sand (ii) Stone.	 Local Local 4.00 Km 1.00 Km	 Local Local 4.00 Km 1.00 Km	
11	Facility / Resources. (a)…. (b) Dropping zone (c) Food stuff. (d) Lab our local availability & lead for import. (c) Construction materials, timber bamboo, sand, stone, shingle etc. availability and lead involved.	 Fair Nil Nil Locally & Nepali Locally	 Fair Nil Nil Locally & Nepali Locally	
12	A.C.C. points indicating possibility of equipment's.	Work will be done by labour	Work will be done by labour	
13	Climatic conditions. (a)Temperature maximum/ minimum. (b) Rainfall average, annual, peak intensity, monthly description to the extent possible. (c) Length of road covered by snow (average & peak) (d) Wind direction. (e) Fog conditions. (f) Exposure to sun.	Max 30^0c, Min 10^0 c 10.00 cm Avg. Nil South-North Nil Sunny area	Max 30^0c, Min 10^0 c 10.00 cm Avg. Nil South-North Nil Sunny area	
14	Drainage characteristic of the area indicating susceptibility of damages.	Fair	Fair	
15	Length of land slides.	Nil	Nil	
16	Length of heavy clouding.	Nil	Nil	
17	Length of marshy or flooded area.	Nil	1.00km	
18	Length of portions with loose rock.	Nil	Nil	
19	Period required for construction.	1 Years	1 Years	
20	Vegetation extent type.	Forest Vegetation	Forest Vegetation	

JE AE

21	Political aspects (villages falling within population) (a) 1st. KM of the alignments. (b) 3rd Km to 5th Km of the alignment. (c) 6th Km to 8th Km alignment.	Jaltakot Chamartal Kimoli	Jaltakot Chamartal Kimoli	
22	Strategic considerations.	Fair	Fair	
23	Economical & Industrial considerations. (a) Population served by the alignment.	Good 1500	Good 1500	
24	Recreational potential for development.	Fair	Fair	
25	Scope of agricultural & horticultural development.	Fair	Fair	
26	Extent of forest wealth.	5.00 Km	5.00 Km	
27	Approximate cost of each alignment.	Rs. 208.92 Lacs	Rs. 208.92 Lacs	
28	Merits/ Demerits (i) (ii) (iii) (iv)	Less Cost Less Cross drainages work Passing from near populated area Villagers satisfied	More Cost More Cross drainages work Passing away from populated area Villagers not satisfied	
29	Any other important information v.i.s. Other important projects being undertaken in the area required for completion of the work.	Local public also demand this alignment	Villagers refuse this alignment	

Recommendation of Executive Engineer :-

The alignment No. 1 is recommended for construction in view of the above facts

Junior Engineer

Assistant Engineer

अधिशासी अभियन्ता
Executive Engineer
ग्रामीण खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

Approval of Superintending Engineer.

Superintending Engineer.

प्रपत्र सं. 14

(34)

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

पत्रक 26

35

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आर0 सी0 यू–44/सड़क संरेखन/कुमायूँ/2008

जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत सातचौंरा–जल्थाकोट--चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग, प्रस्तावित लम्बाई 8 कि0मी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

नवम्बर, 2008

जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत सातचौंरा--जल्थाकोट--चमड़थल--किमोली मोटर मार्ग, प्रस्तावित लम्बाई 8 कि0मी0 सड़क संरेखन की भूमर्भीय निरीक्षण आख्या

1.प्रस्तावना

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के अधीन जल्थाकोट–चमड़थल--किमोली मोटर मार्ग का 8 कि0मी0 की लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण 28/11/2008 को श्री के0 के0 पाण्डे, सहायक अभियन्ता एवं श्री एस0 नयाल, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण – स्थल की परिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि जल्थाकोट--चमड़स्थल–किमोली मोटर मार्ग का 8 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण हो सके।

2. स्थिति

प्रस्तावित सड़क संरेखन सातचौंरा–जल्थाकोट निर्माणाधीन मोटर मार्ग के 5 कि0मी0 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है एवं किमोली गाँव में शहीद मोहन सिंह के मकान के आगे सूखे नालों से आगे जंगल में समाप्त हो जाता है। स्थिति के लिए मानचित्र एवं फोटोग्राफी संलग्न है।

3.भूगर्भीय स्थिति

प्रस्तावित सड़क संरेखन सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के अन्तर्गत हैं। स्थल पर बेरीनाग एवं देववन गंगोलीहाट फारमेशन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। बेरीनाग फारमेशन के अन्तर्गत क्वार्टजाइट, सिरिसाइट/क्लोराइट सिस्ट की चट्टानें एवं देववन फारमेशन के अन्तर्गत सेल/स्लेट, डोलोमाइट एवं मैग्नेसाइट की चट्टानें संरेखन स्थल पर विद्यमान हैं। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

1	100--280	पूर्व दक्षिण पूर्व--पश्चिम उत्तर पश्चिम	41°	दक्षिण पश्चिम दक्षिण	नति
2	90--270	पूर्व–पश्चिम	41°	दक्षिण	नति
3	100--280	पूर्व दक्षिण पूर्व–पश्चिम उत्तर पश्चिम	81°	उत्तर पूर्व उत्तर	नति
4	70--250	उत्तर पूर्व--दक्षिण पश्चिम	51°	उत्तर पश्चिम	नति
5	160--340	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	72°	दक्षिण पश्चिम	नति
6	40--220	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	46°	उत्तर पश्चिम	नति
7	65--245	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	29°	उत्तर पश्चिम	नति
8	130--310	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	32°	दक्षिण पश्चिम	नति
9	120--300	दक्षिण पूर्व--उत्तर पश्चिम	67°	दक्षिण पश्चिम	नति
10	110--290	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	12°	दक्षिण पश्चिम	नति
11	115--295	दक्षिण पूर्व–पश्चिम उत्तर	32°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
12	110--290	दक्षिण पूर्व–पश्चिम उत्तर	48°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
13	165--345	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	74°	पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
14	45--225	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	67°	पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
15	50--230	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	57°	पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
16	175--355	दक्षिण पूर्व दक्षिण–उत्तर पश्चिम उत्तर	87°	पूर्व उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
17	10--190	उत्तर पूर्व उत्तर–दक्षिण पश्चिम दक्षिण	28°	पश्चिम उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
18	150--330	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	88°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
19	55--235	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	38°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
20	50--230	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	75°	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
21	125--305	दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम	65°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
22	20--200	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	52°	पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
23	95--275	पूर्व पक्षिण पूर्व--पश्चिम उत्तर पश्चिम	66°	दक्षिण पश्चिम दक्षिण	ज्वाइन्ट प्लेन
24	30--210	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	72°	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
25	175--355	दक्षिण पूर्व दक्षिण–उत्तर पश्चिम उत्तर	74°	पश्चिम दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
26	140--320	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	76°	उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन

27	15–195	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	74^0	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
28	90–270	पूर्व–पश्चिम	54^0	उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
29	30–210	उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	90^0	वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
30	125–305	दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	74^0	उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन

उपरोक्त से ज्ञात होता है कि संरेखन स्थल पर स्थित चट्टानें 12^0 से 81^0 तक दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 10 सेट से अधिक ज्वाइन्टप्लेन विकसित हुए हैं।

4. स्थल वर्णन

प्रस्तावित सड़क संरेखन रातचौंरा –जल्थाकोट निमार्णाधीन मोटर मार्ग के कि0मी0 5 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। प्रारम्भ में ही संरेखन देववन फारमेशन डोलोमाइट–मैग्नेसाइट–खडिया से बने चट्टानों से गुजरता है जो खड़िया खदानों के आस–पास से गुजरता हुआ 2 हेयर पिन वैण्ड्स की सहायता से जल्थाकोट पहुँचता है। जल्थाकोट से आगे भी यह संरेखन खड़िया खदान के ऊपर की ओर से गुजारा जाता है। जिसके पश्चात् संरेखन के केदालिंग गॉव के नीचे स्थित खेतों से गुजरता हुआ खोलाखेत में स्थित मन्दिर के ऊपर की ओर स्थित खेतों से होकर वैसाई गॉव में श्री दिनेश भट्ट के मकान के नीचे की ओर स्थित खेतों से होकर चमड़थल में जूनियर हाईस्कूल के पीछे की ओर पहाडी से निकलकर किमोली गॉव की सरहद को पार करता हुआ किमोली गॉव के ऊपर से होकर शहीद मोहन सिंह के मकान के पीछे की ओर स्थित खेतों से होकर किमोली से काण्डा पैदल मार्ग पर दिया गया है। एवं आगे निकलकर जंगल पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण संरेखन का अधिकांश भाग वन भूमि से होकर गुजरता है। जल्थाकोट, केदालिंग, खोलाखेत, वैसाई एवं किमोली में नाप भूमि / कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है। पहाड़ी का ढलान सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत है जो उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी है। सम्पूर्ण संरेखन में 15 नाले विद्यमान हैं जिनमें केवल एक नाला पेरिनियल है। संरेखन के प्रारम्भ में पहले किमी0 के अन्तर्गत 2 हेयर पिन बैण्डस भी प्रस्तावित हैं। यह संरेखन चमड़थल से आगे बेरीनाग थ्रस्ट जोन से गुजरता है। प्रस्तावित संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के राइज, 1:24 के राइज 1:30 के राइज एवं लेवल पर प्रस्तावित है।

मिट्टी की परत
डेब्रिस
क्वार्टजाइट (गुलाबी)
एम्कीबोलाइट (फिलिटिक)
क्वार्टजाइट (हरे रंग में)
बेरीनाग थ्रस्ट
मैग्नेसाइट
सेल / स्लेट (केलकेरियस)
सेल (डोलोमिटिक)
डोलोमाइट
टेल्क
मैग्नेसाइट
सेल / स्लेट

5. स्थाईत्व का विचार

प्रस्तावित संरेखन की संरचना, वनावट, भूकम्पीय, भू–गर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर स्थाईत्व के लिए विचार करना अतिआवश्यक है।

1. यह क्षेत्र मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत है।
2. संरेखन में 14 नाले सूखे एव 1 नाला पेरिनियल है।
3. संरेखन नाप/कृषि भूमि से गुजरता है।
4. संरेखन का अधिकाश भाग वन भूमि में प्रस्थावित है।
5. संरेखन में दो हेयर पिन वैण्ड्स प्रस्तावित है।
6. भूकमम्पीय द्वष्टि से यह भू–भाग जोन V के अर्न्तगत है।
7. पहाडी ढलान सामान्य श्रेणी का है।
8. संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के राइज, 1:24 के राइज, 1:30 के राइज, एवं लेवल पर प्रस्तावित है।
9. संरेखन खडिया खदानों के आस पास से भी गुजरता है।
10. संरेखन के आस पास पानी के स्त्रोत भी है।

6. सुझाव

प्रस्तावित सडक संरेखन स्थल भी, वनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण परिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग निर्माण हेतू निम्नलिखित सुझाव दिए गए है।

1. सूखे एव पेरिनियल नालो पर स्कपर/डबल स्कलर/काजवे एवं कल्वर्ट का निर्माण किया जाय।
2. पहाडी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
3. आवश्यकतानुसार ब्रेस्ट वाल का निर्माण किया जाय।
4. पानी के स्त्रोतों के रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय किये जाय।
5. भूकम्पीय मानको के अनुरूप उपाय किये जाय।
6. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गो के लिए निर्धारित सिविल अभियात्रिकी के मानको एवं विशिष्टयों के अनुरूप उपाय किये जाय।
7. कृषि भूमि पर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप मिलने वाले टॉप सॉयल का उपयोग किया जाय।
8. हेयर पिन वैण्ड्स को स्थायो एवं /समतल भूमि में मानको के अनुरूप वनाया जाय।
9. खडिया खदानों के आस–पास मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् मार्ग की सुरक्षा हेतु एक सीमा, स्थल पर चिन्हित की जाय जिससे खदान के कारण मार्ग को कोई नुकसान न हो ।

10. संरेखन स्थल पर मार्ग निर्माण के समय मिलने वाले मिनरल खड़िया एवं मैग्नेसाइट की सूचना जिलाधिकारी बागेश्वर को दी जाय।

7. निष्कर्ष:

उपरोक्त वर्णित बिन्दओं को ध्यान में रखते हुए सातचौंरा–जल्धाकोट–चमडथल–किमाली मोटर मार्ग का 8 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी: स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का जो वैतोली होते हुए चमडथल एवं किमोली का भी अध्ययन किया गया। जिसमें लैण्डस्लाइट जोन तथा हेयर पिन वैण्ड्स भी अधिकता के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

डा0 आर0 सी0 उपाध्याय
भू वैज्ञानिक
आर.0 क्यू0 पी0/डी0डी0एन0/147/2002–ए0

मोटर मार्ग प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
(बागेश्वर) 4/6/11/1

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

भू—वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान. लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast

walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 17.1 एवं प्रपत्र 31, 32

(43)

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख—रखाव के दौरान. लोक निर्माण विभाग (निर्माण ऐजेन्सी) द्वारा वन्य जीव/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। साथ ही मोटर मार्ग निर्माण के दौरान श्रमिकों को ईधन के लिए किरोसीन/ गैस विभाग अथवा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वनों को कोई क्षति न हो।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा और जो वृक्ष प्रस्तावित किये गये हैं उनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 10 (44)

परियोजना का नामः--राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 3.115 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

उप जिलाधिकारी, बागेश्वर।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

तहसीलदार
कांडा(?) जि० बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

पत्र सं. 30

(45)

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर जि० बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
बागेश्वर

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 33

(46)

परियोजना का नामः--राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	जनसंख्या
1– जल्थाकोट	241
2– खोलाखेत	121
3– बैसाई	101
4– सिमतोली	300
5– किमोली	299
कुल योगः–	1062

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 4/6/11/18

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 4/6/11/18

Annexure - 5

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 3.115 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 6.230 हैक्टेयर में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

एवं विस्फोटक के प्रयोग

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण में यथासम्भव विस्फोटक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। यदि मोटर मार्ग निर्माण के दौरान अपरिहार्य कारण से विस्फोटक के प्रयोग की आवश्यकता होगी तो तद्नुसार कार्यकम तैयार कर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 42

(49)

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 3.115 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाला वन क्षेत्र इकोक्लासेस— (Eco-classes -V) के अन्तर्गत आता है एवं वानस्पतिक घनत्व लगभग 0.3 प्र.श. है। अतः प्रभावित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (N.P.V.) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रकिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456 / 1—42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार रू0 8.45 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से रू0. 26.32 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 00.000......प्रतिशत की दर से .....00.00.........रू0 होता है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 43

(50)

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रकिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/1–42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार देय एन.पी.वी. की धनराशि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग .द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

(51)

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

स्थल विशिष्ट होने / न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिला अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर जि० बागेश्वर

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र-सं. 41

52

JALTHAKOT- CHAMAR THAL- KIMOLI

MUCK DISPOSAL PLAN

(53)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमड़थल किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

भारत सरकार के पत्रांक 11 / मिस0 / 618 / 2010 / उ0प्र0, राज0, उत्तराखंड / 11 / 58 दिनांक 16. 04.2042साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार मलवा निस्तारण योजना।

Summary of MUCK DISPOSAL PLAN

1	Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied	16800 Cum. As per item 1 of enclosed muck disposal plan.
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	Approximate 85% i.e. 14280 Cum. As per item 2 of enclosed muck disposal plan.
3	Balance quantity of muck which requires disposal/ Management plan.	2520 cum, As per item 3 of enclosed muck disposal plan.
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Provision for carriage of muck to muck disposal site is being made Rs, 1,38,600.00 As per item 4 of enclosed muck disposal plan.
5	Ownership of land and the consent of land owners, in case muck disposal is proposed on non forest land. Photo graph & carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site)	State Govt. land. (Private land not available.) Muck disposal area already included in concerning land schedule. Consent of Revenue Department enclosed. Muck disposal site shown in Google map with co-ordinates. Carrying capacity of proposed dumping site 2750 cum. as shown in item 5 (a) of enclosed muck disposal plan.
6	Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.	Provision for development and construction of retaining walls etc. in dumping site is Rs. 4,95,500.00 being made as per item 5(b) of enclosed muck disposal plan. . Hence total provision for muck disposal is Rs. 1,38,600.00 + Rs. 4,95,500.00= Rs. 6,33,600.00 will be made in detail estimate after sanction of forest land.
7	Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species	Dumping site selected in khud side of the proposed motor road which area already included in land schedule. After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund to be deposited by this department.

Note:- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be executed must be mentioned. Enclosed - Muck disposal plan and other papers.

Undertaking

I undertaking that -

1 Muck management plan will be implemented by the user agency.
2 The proposed dumping site is located away from river/ Stream/ Nala.
3 Dumping site is not located in reserved forest.

Junior/ Engineer Provincial Division PWD Bageshwar	Assistant Engineer Provincial Division PWD Bageshwar	Executive Engineer Provincial Division PWD Bageshwar

83

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

(54)

Name of work :- Construction of Jalthakot-Chamarthal-Kimoli Motor Road In District Bageshwar- Total length 8.00 KM

MUCK DISPOSAL PLAN

1 Maerial received from hill side cutting

1/3 x 8000x 3x2+1./2	= 12000.00 Cum
40 % for swell factor	= 4800.00 Cum
Grand total :-	= 16800.00 Cum.

2 Total material (muck) used in motor road during construction – details as given below-

S No.	ITEM	QUANTITY (Cum)
1.	R.R. Stone Masonary laid in 1:6	4586
2.	R.R. Stone Masonary laid in dry	4586
3.	Hand Packed Stone Filling	1876
4.	Wire-crate Construction	938
5.	Parapet Construction	0
6.	Granular Sub-base/Base/Surface 00	2293
	Total Muck	**14279**

Or 14280 cum

3 Balance material (muck) to be deposited in muck disposal site.(1-2 above) = 2520 Cum,

4 Cost of cartage of balance muck upto dumping site 2520 Cum @ Rs. 55.00/Cum. = Rs. 1,38,600.00

5 Location and capacity of muck dumping yard.

(a) Construction of R.R. dry wall including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per PWD detailed specification.

Location	Size of dumping yard.	Qty. (in cum)	Type of land	Capacity of dumping yard.
In KM. 2	1x 100x2x1.5	300	State land.	550 Cum.
In KM. 3	1x100x2x1.5	300	State land.	550 Cum
In KM. 5	1x100x2x1.5	300	State land.	550 Cum.
In KM. 6	1x100x2x1.5	300	State land.	550 Cum.
In KM. 7	1x100x2x1.5	300	State land.	550 Cum.
	Total=	1500		2750 Cum.

(b) Total cost of construction of dumping yard 1500 cum @ 330.00 per cum. = Rs. 4,95,500.00

6 Total Cost of muck disposal plan (4 + 5(b) =Rs. 6,33,600.00

7 Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of mtor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.

Junior Engineer	Assistant Engineer	Executive Engineer
PD PWD Bageshwar	PD PWD Bageshwar	PD PWD Bageshwar

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमड़थल किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

स्वामित्व /अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के कि0मी0 2, 3, 5, 6 एवं 7 में सड़क के किनारे राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सड़क के किनार खड्ड साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 29-12-2014

29.12.14

राजस्व उप निरीक्षक

जी0 एन0 गोस्वामी
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र.........
जनपद–बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

30.12.14

तहसीलदार
बागेश्वर (सदर)
जिला–बागेश्वर

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होंगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग. द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखंड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर

खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

शासनादेश संख्या 3138/ 111—2/ 06—61 (प्रा0आ0.)/ 2006 दिनांक 22.11.2006 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कारगिल शहीद स्व0 रमेश सिंह नगरकोटी की स्मृति में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 कि.मी. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 142.00 लाख के लिए प्रदान की गयी है।

सातचौरा—जल्थाकोट मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. पर भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/ 09 /1775/ 98/ एफ.सी./ 594 दिनांक 28.09.1999 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी0आई0— 852/ 14—2—1999—600 (12)/ 98 दिनांक 18.11.1999 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश पारित करने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग का विस्तार उक्त मार्ग के जल्थाकोट नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं किमोली तक मार्ग की लम्बाई 8 कि.मी. आती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम किमोली की आवादी 299 है तथा यह ग्राम अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। भारत सरकार द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए बीरों के सम्मान में उनके पैत्रिक गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने की योजना लागू की गयी है। स्व0 मोहन सिंह नगरकोटी इसी किमोली ग्राम के निवासी थे। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम किमोली के अतिरिक्त बीच के ग्राम जल्थाकोट (241) खोलाखेत (121) बैसाई (101), सिमतोली (300) आदि की कुल 1062 जनता प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। साथ ही रोजगार की तलाश में युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है जिसे रोकने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है। मोटर मार्ग का निर्माण Vertical cutting कर किया जाना है अत' Horizontal width 7 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार ही की गयी है। भविष्य में इस परियोजना हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिक एवं उसके परिवार को सम्मानित करने तथा स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस मार्ग का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

संख्या-वी० आई० 852/14-2-99-600(12)/98

प्रेषक,

श्री दया शंकर
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ०प्र० लखनऊ।

वन अनुभाग-2,

लखनऊ:दिनांक 18 नवम्बर, 1999

विषय:- जनपद बागेश्वर में काण्डा-अल्मोड़ा-पार्डधुरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.62 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण ।

—o—

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर में काण्डा-अल्मोड़ा-पार्डधुरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 2.62 है0 वनभूमि हस्तांतरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0-8बी/09/1775/98/एफ सी/594 दिनांक 23-9-99 के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

(1) लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं करेगा।

(2) लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को कोई क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर को पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।

(3) उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो लोक निर्माण विभाग के लिये आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।

(4) वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तांतरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) अधिग्रहित वनभूमि क्षेत्र के वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(7) प्रयोक्ता विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अर्थात वन क्षेत्र अर्थात 2.62x2=5.24 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।

—2—

(2)

(8) क्षतिपूर्ति रोपित वन का व्यय सम्बन्धित वन संरक्षक ... संख्या-डब्ल्यू-642/14-3-627/89, दिनांक 30-11-89 के अनुसार ... हस्तान्तरण से पूर्व वसूल किया जायेगा। इस धनराशि से सम्बन्धित ... संरक्षक योजनानुसार क्षतिपूर्ति रोपण वन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(9) वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारियों ... ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें इसके लिए ... निर्माण विभाग उन्हें ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(10) वनभूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो, का निस्तारण केवल उ... ...वन निगम द्वारा करवाया जायेगा।

(11) भारत सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु योजना आ... द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिये गये मापदण्डों/संस्तुतियों ... तथा जिला टास्क फोर्स के भूवैज्ञानिक द्वारा दी गयी शर्तों का समायो... एवं पालन किया जायेगा।

(12) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ई०आई०ए०अधिसूचना 1994 ... पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू होती हो, प्राप्त की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2/75/दस-77/(4)/74, दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर)
उप सचिव

संख्या-बी.आई. 852(1)/14-2-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) बी-1/72, सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ।
2- महालेखाकार (प्रथम) उ०प्र०इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी बागेश्वर।
4- प्रभागीय वनाधिकारी पूर्वी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।
5- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
6- लोक निर्माण अनुभाग-2/3 सचिवालय, वित्त अनुभाग-3, उ०प्र०सचिवालय।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
उप सचिव

आशुलिपिक
आर.के. (ह०)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
(बागेश्वर)

No. ... / ... दिनांक 21.12.99

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, द्वितीय प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बागेश्वर को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

Annexure-6

फैक्ट सीट

क्र. सं.	विवरण	उत्तर
1	परियोजना का नाम	राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमड़थल किमोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.00 कि.मी.
2	प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल है0 में। सिविल सोयम भूमि वन पंचायत भूमि आरक्षित वन भूमि **कुल वन भूमि** नाप भूमि **कुल भूमि का योग**	 1.855 हैक्टेयर 0.875 हैक्टेयर **0.385 हैक्टेयर** **3.115 हैक्टेयर** 2.485 हैक्टेयर **5.600 हैक्टेयर**
3	प्रस्तावक विभाग का नाम	**लोक निर्माण विभाग**
4	वन प्रभाग का नाम	बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर
5	प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है ?	✓हां/ नहीं
6	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है ?	✓हां/ नहीं
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भी गयी है ?	✓हां/ नहीं
8	क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है?	✓हां/ नहीं
9	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है ?	✓हां/ नहीं
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/ प्रमाणपत्र संलग्न है ?	✓हां/ नहीं
11	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है ?	✓हां/ नहीं
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है ?	✓हां/ नहीं
13	संरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है ?	✓हां/ नहीं
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है ?	✓हां/ नहीं
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है ?	✓हां/ नहीं
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है?	✓हां/ नहीं
17	प्रस्तावित परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है ?	✓हां/ नहीं
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ?	हां/ नहीं ✓
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है ?	हां/ नहीं ✓

20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में भरा गया है ?	✓ हां/ नहीं
21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग को आगे निर्माण किया जाना है। (यदि पूर्व निर्मित मार्ग को आगे बढ़ाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।)	मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग का विस्तार है। भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंग से भरा गया है ?	✓ हां/ नहीं
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है ?	✓ हां/ नहीं
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन हुआ है ?	हां/ नहीं ✓
25	यदि उलंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।	✓ आवश्यकता नहीं है।
26	परियोजना निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक संरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये है ?	✓ हां/ नहीं
27	वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय।)	✓ प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र में दिया गया है।
28	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है। (5 है0 से अधिक के प्रकरणों पर लागू होगा)	✓ लागू नहीं होता है।
29	मानचित्र व बारचार्ट में एक रूपता है ?	✓ हां/ नहीं
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है? अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।	✓ हां/ नहीं ~~हां/ नहीं~~
31	राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र संलग्न है ?	✓ हां/ नहीं
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है। यदि छांया प्रतियां संलग्न की गयी है। तो क्या वे सत्यापित है ?	✓ हां/ नहीं
33	यदि वन भूमि लीज पर दी जाती है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है।	✓ लागू नहीं होता है।
34	वित्तीय / प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न है ?	✓ हां/ नहीं
35	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है ?	✓ हां/ नहीं
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है ?	✓ हां/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

पत्र क्र. 5

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

(62)

A Proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता प्र० खण्ड लो०नि०वि० बागेश्वर .... Uttarakhand for diversion under FCA-1980 of 3.115 ha. of forest land non foresty purpose. The project envisages the use of forest land for construction of जल्थाबैण्ड चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण. The site inspection of the land ivolved in the proposal has been done by me on dated 24-11-2013.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ Un- classed/ Protected forest measuring 3.115 ha.

The reuirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and funa found in the area. if, so the details there of. No

Whether any protected archeological/ heritage site / defence establishment or any other important monuments is located in the area. if so, the details there of with NOC from competent authority, if required. No

(a) ✓ The user agency has not violated the provisions of forest Conservation act 1980 and no work has been started without proper sanction. No

(b) ✗ It has been found that the user agency has violated the forest conservation act 1980 provisios. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Hand book of forest Conservation Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance of other wise of the proposal.

स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

Place बागेश्वर
Date 24-11-2013

Signature (प्रभागीय वनाधिकारी)
Name बागेश्वर वन प्रभाग
Designation बागेश्वर
Office Seal,

N.B. x State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted,

x Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2-2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment and Forest, Government of India of Proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection from the conservator of forest is required.